

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अशोक कुमार कश्यप, समीक्षा अधिकारी, राजस्व सचिव शाखा, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ (जो दिनांक 30-09-2016 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं), के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-65998 में जमा अवशेष धनराशि के नियमानुसार 90 प्रतिशत अंश के अंतिम भुगतान हेतु एतद्वारा उनके खाते में पासबुक में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर वरिष्ठ लेखाधिकारी/निधि-24, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या-निधि-24/मिलान डायरी-273/54241/1317/75280, दिनांक 30-12-2016 में की गयी संस्तुति एवं खाते में जमा धनराशि की अद्यतन स्थिति के दृष्टिगत दिनांक 30-09-2016 तक जमा धनराशि ₹0 9,36,486/- (रूपये नौ लाख छत्तीस हजार चार सौ छियासी मात्र) के 90 प्रतिशत अंश की धनराशि ₹0 8,42,837-40 अर्थात् रूपये 8,42,837/- (रूपये आठ लाख बयालिस हजार आठ सौ सैंतीस मात्र) का अंतिम भुगतान वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या-24-सा-4-ए0जी0-57/10-84-510-84, दिनांक 26-12-1984 के अधीन स्वीकृत किया जाता है।

2- अंतिम भुगतान की उक्त धनराशि श्री अशोक कुमार कश्यप के भविष्य निधि खाता संख्या जी0ए0यू0-65998 की पासबुक में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर जमा अवशेष के 90 प्रतिशत अंश से अधिक नहीं है।

3- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार कश्यप, समीक्षा अधिकारी दिनांक 30-09-2016 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

4- श्री अशोक कुमार कश्यप से भुगतान से पूर्व इस आशय का घोषणा-पत्र (शपथपत्र) प्राप्त कर लिया गया है, कि यदि उन्हें देय धनराशि से अधिक धनराशि प्राप्त हो जायेगी तो वह उसे शासन को वापस लौटाने हेतु बाध्य होंगे।

5- उपर्युक्त धनराशि का भुगतान श्री अशोक कुमार कश्यप को तुरन्त किया जायेगा तथा अवशेष 10 प्रतिशत अंश की धनराशि का भुगतान कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त प्राधिकार पत्र के आधार पर किया जायेगा।

मनोज कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- अनुभाग अधिकारी, राजस्व लेखा अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
- 4- श्री अशोक कुमार कश्यप, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, राजस्व विभाग, निवासी-544/389, कैम्पवल रोड, एकतानगर, बालागंज, लखनऊ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।